न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर रामगढ़ (अलवर)
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कैम्प कोर्ट चौरोटी पहाड)

पीठासीन अधिकारी : श्री बालकृष्ण तिवाडी आरएएस

मुकदमा नं0 1 / 48 / 17 निर्णय दिनांक : 29.06.2017

उनवान

1. रतन लाल पुत्र भागमल जाति माली निवासी ग्राम चौरोटी पहाड तहसील रामगढ जिला अलवर।

..............................वादी

बनाम

1. किशनलाल पुत्र भागमल,
2. कुन्दनलाल पुत्र भागमल,
3. छुटटन पुत्र भागमल जातियान माली निवासियान ग्राम चौरोटी पहाड तहसील रामगढ।
4. उप पंजीयक महोदय रामगढ, तहसील रामगढ।

............असल प्रतिवादीगण

5. तहसीलदार रामगढ जर्ये लैण्ड होल्डर तहसील रामगढ जिला अलवर।

............तकमीली प्रतिवादी

(अन्तर्गत धारा 53, 188 आरटीएक्ट)

प्रारम्भिक निर्णय

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र धारा 53, 188 आरटीएक्ट इस आशय का पेश किया है कि आराजी हाल खसरा नम्बर 264 रकबा 0.10, 465 रकबा 0.03, 466 रकबा 0.10, 467 रकबा 0. 24, 468 रकबा 0.07, 469 रकबा 0.07 हैक्ट0 किता 6 रकबा 0.61 हैक्ट0 वाके ग्राम चौरोटी पहाड तहसील रामगढ जिला अलवर में स्थित आराजी में वादी का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 1 का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 2 का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 3 का 1/4 हिस्सा रिकोर्डेड खातेदारी का है। जो अबट आराजी है। जिसमें वादी व असल प्रतिवादीगण अपने-अपने हिस्से अनुसार उक्त आराजी पर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। परन्तु कुछ दिन से असल प्रतिवादीगण के मन में बदयान्ति आ गई है कि बिना बटवारा किये उक्त विवादित आराजी के अच्छी हिस्से पर काबिज होना चाहते है। बिना विधिक बटवारा किये उक्त आराजी को जर्ये रहन, बय, हिबा के मुन्तकिल व मकफूल करना चाहते है।

अतः प्रार्थना है कि डिक्री बाबत तकसीम आराजी बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण सादिर फरमाई जाकर आराजी हाल खसरा नम्बर 264 रकबा 0.10, 465 रकबा 0.03, 466 रकबा 0.10, 467 रकबा 0.24, 468 रकबा 0.07, 469 रकबा 0.07 हैक्ट0 किता 6 रकबा 0.61 हैक्ट0 वाके ग्राम चौरोटी पहाड तहसील रामगढ जिला अलवर में से हिस्सानुसार अच्छी में से अच्छी व बुरी में

से बुरी तकसीम करायी जाकर वादी व असल प्रतिवादीगण के हिस्से का अलग खाता व लगान कायम कराया जाकर तरफ डाली जावें।

पत्रावली राजस्व लोक अदालत शिविर/ कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत चौरोटी पहाड में दिनांक 29.06.2017 को पेश हुई। उभयपक्षकारान उपस्थित। उभयपक्षकारान को सुना गया।

राजस्व लोक अदालत शिविर/ कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत चौरोटी पहाड में दिनांक 29.06.2017 को पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत 2070–73 ग्राम चौरोटी पहाड का अवलोकन किया। वादी का वाद तकसीम आराजी का है। पक्षकारान संयुक्त खातेदार है। विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड एवं मौके अनुसार विभाजन प्रस्ताव अच्छी में अच्छी व बुरी में से बुरी के आधार पर तकसीम किया जाना उचित प्रतीत होता है।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर वाद वादी इस आश्य के साथ स्वीकार किया जाता है कि आराजी हाल खसरा नम्बर 264 रकबा 0.10, 465 रकबा 0.03, 466 रकबा 0.10, 467 रकबा 0.24, 468 रकबा 0.07, 469 रकबा 0.07 हैक्ट0 किता 6 रकबा 0.61 हैक्ट0 वाके ग्राम चौरोटी पहाड तहसील रामगढ जिला अलवर में वादी व प्रतिवादीगण की उपस्थिति में राजस्व रिकार्ड में हिस्सा अनुसार व मौके के अनुसार अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी तकसीम कर प्रारम्भिक डिक्री विभाजन अनुसार तहसीलदार रामगढ प्रस्ताव तैयार कर आगामी दिनांक 29.09.2017 से पूर्व भिजवाये। बाद विभाजन वादी व प्रतिवादीगण तथा प्रतिवादीगण एक दूसरे की आराजी के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत नही करेगे, इस कदर पाबन्द किया जाता है। इसी प्रकार प्रारम्भिक पर्चा डिक्री बनायी जावे।

निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित कर लोक अदालत ग्राम पंचायत चौरोटी पहाड में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर रामगढ़ (अलवर)
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कैम्प कोर्ट चौरोटी पहाड)

पीठासीन अधिकारी : श्री बालकृष्ण तिवाडी आरएएस

मुकदमा नं0 1 / 48 / 17 निर्णय दिनांक : 29.06.2017

उनवान

1. रतन लाल पुत्र भागमल जाति माली निवासी ग्राम चौरोटी पहाड तहसील रामगढ जिला अलवर।

..............................वादी

बनाम

1. किशनलाल पुत्र भागमल,
2. कुन्दनलाल पुत्र भागमल,
3. छुटटन पुत्र भागमल जातियान माली निवासियान ग्राम चौरोटी पहाड तहसील रामगढ।
4. उप पंजीयक महोदय रामगढ, तहसील रामगढ।

............असल प्रतिवादीगण

5. तहसीलदार रामगढ जर्ये लैण्ड होल्डर तहसील रामगढ जिला अलवर।

............तकमीली प्रतिवादी

(अन्तर्गत धारा 53, 188 आरटीएक्ट)

<u>प्रारम्भिक पर्चा डिक्री</u>

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर वाद वादी इस आश्य के साथ स्वीकार किया जाता है कि आराजी हाल खसरा नम्बर 264 रकबा 0.10, 465 रकबा 0.03, 466 रकबा 0.10, 467 रकबा 0.24, 468 रकबा 0.07, 469 रकबा 0.07 हैक्ट0 किता 6 रकबा 0.61 हैक्ट0 वाके ग्राम चौरोटी पहाड तहसील रामगढ जिला अलवर में वादी व प्रतिवादीगण की उपस्थिति में राजस्व रिकार्ड में हिस्सा अनुसार व मौके के अनुसार अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी तकसीम कर प्रारम्भिक डिक्री विभाजन अनुसार तहसीलदार रामगढ प्रस्ताव तैयार कर आगामी दिनांक 29.09.2017 से पूर्व भिजवाये। बाद विभाजन वादी व प्रतिवादीगण तथा प्रतिवादीगण एक दूसरे की आराजी के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत नही करेगे, इस कदर पाबन्द किया जाता है।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 29.06.2017 को तैयार की जाकर शामिल मिसल की गई।

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)